कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा / प्रार / आरटीई / 18881 / scpcr / वा–2 / 15–16 / 680 दिनांक

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा
........(समस्त)

रजिस्टर्ड–पत्र

विषयः–विद्यालयों में छात्रों को वाहनों द्वारा लाने ले जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।
प्रसंगः–माननीय बाल आयोग का पत्र क्रमाकः–एफ 19( ) / बाल अयोग / आरटीई शिकायत / 17–18 / 785–852 दिनांक 08.05.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि माननीय राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जयपुर ने सडक दुर्घटनाए ना हो इस हेतु वाहन व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन हेतु दिशा–निर्देश जारी कर प्रति आपको भी पृष्ठांकित की है।

उपरोक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले की समस्त निजी एवं राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधान को आवश्यक रूप से इस हेतु पाबंद करावें कि वे सुझाए गए दिशा–निर्देशों का पूर्ण पालन करें।

माननीय बाल आयोग द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये गये है:--

1. जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा बाल वाहिनी के संबंध में नियमित मॉनीटरिंग की जावे।
2. यातायात पुलिस को विद्यालय के खुलने एवं छुट्टी होने के समय यातायात नियत्रंण हेतु उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किये जावें।
3. विद्यालय एवं वाहन चालकों को निर्देशित किया जावे कि बच्चों को विद्यालय परिसर में छोड़े एवं विद्यालय परिसर से ही लेवें।
4. बाल वाहिनी के सभी वाहन चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन किया जावें एवं क्षमता से अधिक बच्चें नहीं लिये जावें।
5. समय–समय पर बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से यातायात नियमों से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया जावे एवं जाकरूकता अभियान चलाया जावें।

आपको निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 03 एवं 05 हेतु आपके अधीनस्थ समस्त विद्यालयों को विशेष रूप से पालना हेतु पाबंद करावें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

उपनिदेशक (आरटीई)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com